अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 238/23 (सीआईएस 238/23)

सुनील कुमार शर्मा बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेफरेंस सं. 238/2023

सुनील कुमार शर्मा व अन्य बनाम जविप्रा

दिनांक 04.06.2026

रेफरेंसकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एस. सोलंकी उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाद रावत उपस्थित।

बहस रेफरेंस सुनी गई। पत्रावली व विधि के प्रावधानों का अवलोकन व मनन किया गया।

रेफरेंसकर्ता द्वारा हस्तगत रेफरेंस के माध्यम से निम्न प्रकार अनुतोष चाहा गया है।

'' अतः रेफरेन्स प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी श्रीमान के समक्ष मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी एवं उसके अधिनस्थ उपायुक्त अधिकारी कर्मचारी अधिकारी इत्यादि को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण के भूखण्ड संख्या– भूखण्ड संख्या–68, 68 ए, 69, 85, 86, 88, 125, 126, 132, 133, 137, 139 ए, 140 ए, 143, 144, 147, 148, 88 ए, 131, 131 ए, 151, बालाजी विहार –4, एवं योजना बद्रीनारायणपुरी गोविन्दपुरा में प्लॉट नं. 11, 12, 15, 16, व 17 कालवाड रोड से होकर सेक्टर प्लान के अनुसार रोड निर्धारित कर समानान्तर अलाईमेंट में रोड निर्मित करावे, तथा यह भी आदेश व निर्देश जारी किये जावे कि उक्त स्थिति अनुसार रोड निर्धारित कर योजना का पुनः पी.टी. सर्वे करवा कर नियमन की कार्यवाही सम्पादित करे। तब तक प्रार्थीगण को किसी प्रकार से बेदखल की कार्यवाही नहीं की जावे।''

जविप्रा द्वारा निम्न प्रकार जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है।

'' प्रार्थीगण द्वारा रेफरेन्स में वर्णित तथ्य अनुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही अप्रार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का रेफरेन्स बिना किसी वादकारण अथवा आदेश के प्रिमेच्योर होने के आधार प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। योजना बालाजी विहार–4 कालवाड़ रोड़ के अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त योजना के पी.टी. सर्वे एवं मास्टर प्लान शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त योजना जोनल डवलपमेन्ट प्लान की 100 फीट (30) मीटर) रोड़ से प्रभावित है। उक्त रोड़ से उक्त योजना के भूखण्ड संख्या 12. 27, 28, 48, 49, 68, 68, 69, 85, 86 से 88, 125 से 139, 140 से 151 एवं 152ए प्रभावित है।

योजना बालाजी विहार–4 कालवाड़ रोड़ के अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त योजना के पी.टी. सर्वे एवं मास्टर प्लान शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त योजना जोनल डवलपमेन्ट प्लान की 100 फीट (30 मीटर) रोड़ से प्रभावित है।

योजना बालाजी विहार–4 कालवाड रोड़ के अनुमोदन की

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 238/23 (सीआईएस 238/23)

सुनील कुमार शर्मा बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त योजना के पी.टी. सर्वे एवं मास्टर प्लान शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त योजना जोनल डवलपमेन्ट प्लान की 100 फीट (30 मीटर) रोड़ से प्रभावित है। उक्त रोड़ से उक्त योजना के भूखण्ड संख्या 12, 27, 28, 48, 49, 68, 68, 69, 85, 86 से 88, 125 से 139, 140 से 151 एवं 152ए प्रभावित है।''

सुना गया।

यह अधिकरण हस्तगत रेफरेंस को निम्न प्रकार निस्तारित किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

रेफरेंसकर्ता की ओर से प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस आंशिक रूप से स्वीकार कर यह अधिकरण जविप्रा को आदेशित करता है कि

1. रेफरेंसकर्ता द्वारा चाहे गए अनुतोष के संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही करे।
2. किसी भी कार्यवाही के शुरू करने से पूर्व प्रार्थी का पक्ष भी सुना जाकर विधि अनुसार निस्तारित किया जाये।

रेफरेंस का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।